



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 556 राँची, शुक्रवार,

30 अगस्त, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

7 अगस्त, 2024

संख्या-5/आरोप-1-93/2019 का०- 5186--श्री बंका राम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-640/03), तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू, सम्प्रति-सेवानिवृत्त के विरुद्ध उपायुक्त पलामू के पत्रांक-852, दिनांक-01.11.2019 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है । आरोप पत्र में श्री राम के विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किया गया-

1. श्री बंका राम, तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू दिनांक-19.02.2016 से 06.10.2018 तक विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू के प्रभार में कार्यरत थे। श्री राम, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू के पद पर कार्यरत रहते हुए अपने हस्ताक्षर से अवैध रूप से दिनांक 14.06.2018 को विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक, डाल्टनगंज में संधारित खाता सं०-11112105417 से मो० 12,60,00,000=00 (बारह करोड़ साठ लाख) रु० की निकासी कर उक्त राशि का गबन किया गया था ।

2. श्री बंका राम, तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू द्वारा भारतीय स्टेट बैंक डाल्टनगंज से प्राप्त बैंक स्टेटमेंट का मिलान कार्यालय में संधारित चेक निर्गत पंजी से नहीं किया गया और बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की गई ।

3. श्री बंका राम, तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू द्वारा उक्त राशि की निकासी की प्रविष्ट रोकड़ पंजी में नहीं कराना यह स्पष्ट करता है कि उनके द्वारा एक षडयंत्र के तहत उक्त राशि गबन किया गया है ।

4. श्री राम, तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू द्वारा बैंक स्टेटमेंट का Conciliation नहीं कर उक्त राशि के गबन के तथ्य को छुपाया गया है।

5. श्री बंका राम, तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू के उपर्युक्त कार्य पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित करता है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(i)(ii) एवं (iii) के प्रतिकूल है ।

उक्त आरोपों पर इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-3777, दिनांक- 04.03.2020 द्वारा इनको निलंबित किया गया है तथा विभागीय संकल्प संख्या-7860, दिनांक-28.07.2020 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-99, दिनांक 10.02.2021 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के बचाव-बयान को स्वीकार योग्य एवं प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया ।

श्री राम के विरुद्ध आरोप, बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री राम को विभागीय अधिसूचना सं०-17675(HRMS), दिनांक 14.10.2022 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया तथा विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति के बिन्दुओं को अंकित करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(vi) के अंतर्गत तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-6573, दिनांक- 19.10.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री राम के पत्रांक- 219, दिनांक 14.02.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया ।

श्री राम द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-21358(HRMS), दिनांक 31.05.2023 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(vi) के अंतर्गत तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय, राँची के पत्रांक-250, दिनांक 03.06.2024 में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री राम दिनांक-31.03.2024 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यदि श्री राम के विरुद्ध दिनांक 31.05.2023 के आदेश को आधार मानकर वेतन वृद्धि रोकी जाय तो दिनांक 01.07.2023 का ही वेतनवृद्धि प्रभावित होता है। यदि दण्ड प्रस्तावित करने संबंधित पत्रांक- 6573 दिनांक 19.10.2022 को आधार माना जाता है, तो भी सिर्फ 01.07.2023 का ही वेतन वृद्धि प्रभावित होता है।

महालेखाकार से प्राप्त पत्र के आलोक में मामले की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री राम दिनांक-31.03.2024 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो गये हैं, अतएत प्रासंगिक मामले में श्री राम को शास्ति अधिरोपण के उपरांत 01 वेतन वृद्धि ही अनुमान्य होता है जिसे रोका जा सकता है। श्री राम के विरुद्ध अधिरोपित 'तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड' का अनुपालन पूर्ण रूप से संभव नहीं है।

अतः समीक्षोपरांत संबंधित मामले में पुनर्विचार करते हुए विभागीय संकल्प संख्या 21358(HRMS), दिनांक 31.05.2023 द्वारा श्री बंका राम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-640/03), तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(vi) के अंतर्गत तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड' को संशोधित करते हुए 'झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत एक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड के रूप में परिवर्तित किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री बंका राम, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव।
